

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 9.11.2001

क्रमांक — /एफ- 10 / 391 / 2001 / वाक / पांच(65) — जैसा कि राज्य शासन को समाधान हो गया है कि ऐसा जनहित में किया जाना आवश्यक है :

अतः अब राज्य शासन केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन 1956) की धारा 8(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में उल्लेखित सीमा तक कालम (4) में उल्लेखित कालावधि के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कर से भुगतान की छूट प्रदान करता है।

अनुसूची

क्रम	वस्तु की श्रेणी	छूट की सीमा	कालावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धान	संपूर्ण कर	1.10.2001 से 31.3.2002

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)

उप सचिव

(5)

Government of Chhattisgarh

FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND STATISTICS
20-POINT PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

MANTRALAYA

NOTIFICATION

Raipur, dated 9.11.2001

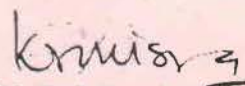
No. — /F- 10 / 391 / 2001/CT/V(65) - Whereas the state government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act 1956 (No. 74 of 1956) the state government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3) for the period specified in column (4).

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Period
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Paddy	Whole of tax	1.10.2001 to 31.3.2002

By order and in the name of the Governor
of Chhattisgarh


(K. R. Misra)
Deputy Secretary